

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,

आर.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :- 16/2016

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ।

—बनाम—

शौकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरु बाइपास रोड, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3/2 खण्ड (ख)(5)

राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

1. श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम) —————सरकार की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक 11.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू ने दिनांक 22.11.2016 को गैर सायल शौकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरु बाइपास रोड, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि शौकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरु बाइपास रोड, झुन्झुनू जिला झुन्झुनू का रहने वाला है जो एक अपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा झुन्झुनू में एक गुट बनाकर जुआ-सट्टा का धन्धा करता है तथा अनावश्यक ही अपराधिक गतिविधियों से कस्बा बुहाना एवं आस-पास के इलाका में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित कर रखा है, इसकी अपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं, जिसके द्वारा जुआ सट्टा के अपराध में लोगों को फंसाया जा रहा है। इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ थाने पर सूचना या रिपोर्ट देने से डरता है तथा ना ही कोई गवाही देने के लिए तैयार है। इसकी आपराधिक गतिविधियों से युवा पीढ़ी व समाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज किये गये हैं जिनमें न्यायालय द्वारा अपराधी मानकर दण्डित किया गया है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराध एवं दोषसिद्धि का विवरण निम्न प्रकार है :-

1. अभियोग संख्या 10/2011 दिनांक 12.01.2011 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 07/11 दिनांक 25.01.2011

48
जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2011 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

2. अभियोग संख्या 115/2012 दिनांक 27.03.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 55/12 दिनांक 28.3.2012 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2012 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 251/2012 दिनांक 26.06.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 132/12 दिनांक 26.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2012 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार उक्त शौकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरु बाइपास रोड, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 19.09.2017 को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम का सारांश सुनाया गया, जिसे इन्कार करने पर गवाह श्री रामेश्वर लाल तत्कालीन मुख्य आरक्षी 38, थाना कोतवाली, झुन्झुनू श्री अमरसिंह मुख्य आरक्षी 115, थाना कोतवाली, झुन्झुनू, व श्री आशुतोष मुख्य आरक्षी 54, थाना कोतवाली, झुन्झुनू के बयान लिए जाकर बहस अन्तिम सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली, झुन्झुनू में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं—

1. अभियोग संख्या 10/2011 दिनांक 12.01.2011 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 07/11 दिनांक 25.01.2011 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.03.2011 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

4
अ. जिला मजिस्ट्रेट
झुन्झुनू

2. अभियोग संख्या 115/2012 दिनांक 27.03.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 55/12 दिनांक 28.3.2012 किता कर न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.03.2012 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।
3. अभियोग संख्या 251/2012 दिनांक 26.06.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० थाना कोतवाली, झुन्झुनू में पंजीबद्ध होकर आरोप पत्र संख्या 132/12 दिनांक 26.09.2012 को न्यायालय में पेश किया गया। जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.07.2012 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुये 100 रु. अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुन्झुनू जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल शौकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरु बाइपास रोड, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू में अभियोग संख्या 10/11 दिनांक 12.01.11 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 115/12 दिनांक 27.03.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० एवं अभियोग संख्या 251/12 दिनांक 26.06.2012 धारा 13 आरपीजीओ अधि० में पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें सिविल न्यायालय ने दिनांक 30.03.2011, 30.03.2012 व 17.07.2012 को गैरसायल शौकत अली को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम का लाभ देकर 100-100/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल शौकत अली राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। जिसका लगातार ऐसा राज० गुण्डा अधिनियम के तहत अपराध करना आवश्यक नहीं है। धारा 8 के अनुसार ऐसे प्रकरणों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा साक्ष्य का प्रोबेटिव वेल्यू होने के कारण उक्त दस्तावेज सम्पुष्टि के लिए पर्याप्त है। अतः प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्जकर्ता व चालान पेशकर्ता का आकर साबित करना आवश्यक नहीं है तथा राज० गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 3 के अनुसार पुलिस अधीक्षक की लिखित सूचना पर धारा 3 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकती है।

43

जिला न्यायालय
झुन्झुनू

किसी व्यक्ति विशेष की शिकायत की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (II) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल शोकत अली को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूँ।

अतः गैरसायल शोकत अली पुत्र मकबूल जाति कायमखानी, निवासी इकबाल धर्मकांटा के पास, चुरू बाइपास रोड, झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू, को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (II) के तहत 15 दिवस की अवधि के लिए झुन्झुनू जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा तथा गैर सायल शोकत अली पुत्र मकबूल उक्त 15 दिवस की निष्कासित अवधि में जहाँ भी निवास करे, उस स्थानीय थानाधिकारी को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर उस स्थान की सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली झुन्झुनू उचित पते की सूचना प्राप्त होने पर गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। यह निर्णय दिनांक 11.03.2020 के पश्चात 15 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

48
11.03.2020
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल) जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 11.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।



48
11.3.2020
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल) जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट झुन्झुनू
झुन्झुनू